

AA 626
16/12/014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2014

Chhatharu MandalPetitioner

Versus

The State of Bihar through collector of the

District: Madhepura & othersRespondents.

Synopsis of the Case

Relief:- To quash the order dated 31.10.2014 passed in
Basgit Parcha Rev.No.- 11/2012.

Facts:-

- Land of Khata No.241 R.S.Plot No.2337 area
24 decimals,in the name of Bhairo Mandal(father of the
petitioner).
- Nature of land Makan may Sahan.
- Father of the Respondent No.3 namely Sukhdeo
Paswan is recorded in respect of R.S.Khata No.404,Plot
No.2336 are 10 decimals(Makan May Sahan).

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J. C.No. _____ of 2014

Chhutharu Mandal Petitioner.

Versus

The State of Bihar through collector of the
District, Madhepura & others..... Respondents.

Subs- B.P.P.H.T Act

I N D E X

<u>Sl. No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No</u>
1.	Synopsis of the Case	1
2.	An application under Article 226 alongwith an Affidavit.	1 to 15
3. <u>Annexure-1</u>	A Photo copy of the R.S. Khatian in the name of Bhaire Mandal.	16
4. <u>Annexure-2</u>	A Photo copy of the khatian in the name of Sukhdeo paswan father of respondent No.3 .	17
5. <u>Annexure-3</u>	Photo copy of an application filed for information on 12.3.2012 and the information was given from the office of the Circle Officer.	18-19
6. <u>Annexure-4</u>	A Photo copy of the order dt. <u>23.09.2014</u> passed in BSGIT 30.10.2014 Purcha revision case No.11/2012.	20-22
7. <u>Annexure-5</u>	A Photo copy of the F.I.R.	23-27
8. Vakalatnama.		

285

COURT OF JUDICATURE
REGISTRATION EXCEPTED FROM SECTION 17
PATNA SOORE PATNA

COURT FREE

Authorization No. 2675



INDIA

STAMP DUTY

00000

Rs. 0000285

375459

Zero*Zero*Zero*Zero*Two*EightFive

बिहार
JUDICIAL

15.12.2014

BIHAR

0441 7524573

APR 0 3 31 Y

16.12.14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2014

In the matter of an application
under Article 226 of the Indian
Constitution.

And

In the matter of

Chhutharu Mandal Son of Late Bhairak Mandal, Resident of
Village:- Dhanha P.S:- Camhariya, District:- Madhepura

.....Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Collector of the District
Madhepura.

2. The Circle Officer of Singheshwar, Distt.:-Madhepura .

3. Ramcharitra Paswan S/O Late Sukhdeo Paswan, Resident

of village:-Kanhua Godhiyari, P.S:-Gambhariya, District:-

Madhepura.

.....

Respondents.

To,

The Hon'ble Shri Justice Iqbal Ahmed Ansari, the

Acting Chief Justice of the High Court of Judicature at

Patna and his companion Justices of the said Hon'ble

Court.

The humble petition on behalf

of the petitioner named above.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That through this writ application ^{the petitioner} seeks
indulgence of this Hon'ble court for issuance of an
appropriate writ/writs, order/orders, direction/directions
for the following reliefs:-

(I) To issue rule in the nature of certiorary to quash the order dated 31.10.2014 passed in Basgit Purcha revision case No.11/2012 passed by the Collector of the District Madhepura, whereby the revision Application filed by the petitioner has been rejected.

(II) To issue rule to quash the order of Circle Officer Singheshwar dated 3.6.91 passed in Basgit Purcha record No. $\frac{1/91-92}{02/91-92}$ whereby Basgit Purcha in respect of 4 decimals of land of the land petitioner was issued in favour of the respondent No.3.

(III) To command the respondent/respondents not to disturb the peaceful possession of the petitioner over the land in question.

(IV) To grant any other relief or reliefs to which the petitioner is legally entitled.

2. That following moot question of law are involved in the present writ application.

(I) Whether the orders impugned passed by the respondents No.1 & 2 are just, legal and in accordance with law ?

(II) Whether the order impugned passed by respondent No.1 is justified in the background of this fact that the law of limitation will, if any will arise from the date of the knowledge of the issuance of purcha in respect of the land of the petitioner which has been informed to the petitioner on 11.03.2012 ?

(III) Whether the issuance of Basgit purcha in respect of the Khatiyani Homestead land of the petitioner is justified espacially when the petitioner has ^{been} in possession of the land and notice

to show cause as provided under law was ^{not} given
to the petitioner before passing the impugned order
of settlement and issuance of purcha in respect
of 4 decimal of petitioner's land ?

(IV) Whether law permits the respondents to
pass an order behind the back of the petitioner
particularly when the petitioner's father is a
recorded Tenant of the land in question and the
petitioner by way of inheritance has been in
continuous possession of the land in question ?

(V) Whether law permits the respondents to
issue Basgit purcha to a person who possessess his
own homestead land from before issuance of purcha
in respect of the land in question ?

(VI) Whether the respondent No.2 is justified to
grant purcha & without calling any report about

the physical feature of the land and other necessary information for such settlement as required under law ?

(VII) Whether order passed by the collector is justified in view of this fact that the order of settlement and issuance of pichha is wholly illegal and unjustified in eye of law ?

(VIII) Whether the orders impugned are just and proper in the facts and circumstances of this case ?

3. That the petitioner is citizen of India who resides well within the Jurisdiction of this Hon'ble court.

4. That as a matter of fact the land appertaining to R.S. Khata No. 241 R.S. Plot No. -2337 area 24 decimals situated in village Kanha Gadhivari is recorded in the name of Bhaire Mandal father of the petitioner.

-8-

A Photo copy of the Khatian in the name of Sukhdeo Paswan father of the Respondent No.3 is annexed herewith and marked as annexure-2 to this application.

8. That as a matter of fact, in the year 2012 on the basis of settlement made in the year 1991 in respect of 4 decimals of land, appertaining to Khata No ²⁴¹ ~~437~~ Plot No.2337 of the petitioner the respondent No.3 threatened ~~at~~ dispossession from the said portion of the land.

9. That having come to know about the said ~~xxxxx~~ settlement the petitioner filed an application under right ^{to} information Act before the Circle Officer, Singheshwar on 7.3.2012 and in response to said application the Circle Officer Singheshwar provided information on 24.3.2012 in which he informed that in case No.1/91-92 the Basgit

purcha in respect of 4 decimals of land of Khata No.241
Khesra No.2337 has been issued in favour of respondent No.3

A Photo copy of an application
filed for information on 12.3.012
and the information was given
from the Office of the Circle
Officer are annexed herewith and
marked as annexure-3^{33A} to this
application.

10. That in the background of the fact as stated
above the petitioner filed Basgit Purcha Revision case
No.11/012 in the court of collector cum District Magistrate
Madhepura on 16.4.2012 and accordingly a proceeding was
initiated in which the respondent No.3 was given notice
and after hearing both the parties the collector of the
District vide order dated 31.10.2014 rejected the said

revision application mainly on the ground of limitation.

A Photo copy of the order dated-

23.09.2014

passed in Basgit Purna
31.10.2014

revision case No.11/2012 is annexed

herewith and marked as annexure-4

to this application.

11. That from the perusal of the order impugned it is quite clear that the learned collector has not at all consider the point raised by the petitioner. As a matter of fact he has passed order in most mechanical manner taking a technical view of the matters of limitation & specially when the point of limitation ^{will} is not stand in the way, when the order of settlement is illegal unauthorised and not in accordance with law.

12. That in fact, the learned court below has not taken into consideration that the order of settlement

the petitioner himself is a privileged person who does not have more than one acre of land in his share in that view of the matter to grant purcha in respect of ~~the~~ ^{the} land of the petitioner wholly illegal and unjustified.

16. That it may not be out of place to mention here that the respondent No.3 are attempting to take forceful possession in respect of the land of Basgit Purcha consequently one F.I.R. regarding marpit committed by the respondent and his men with the wife of petitioner has been lodged in concerned police station which is relevant to be looked into.

A Photo copy of the F.I.R. is annexed herewith and marked as annexure-5 to this application.

17. That in the facts and circumstances of this case as stated above the petitioner has got no other

alternative and affective ~~efficient~~ efficacious remedy
than to move this Hon^{ble} court in its writ Jurisdiction.

18. That the petitioner has not come to this
Hon^{ble} court on any earlier occasion for the relief
sought for in the present writ application.

It is, therefore, prayed that your
lordship may graciously be pleased
to issue rule and thereby call upon
the respondent to show cause as to
why not the relief sought for in the
present writ application may not be
granted in favour of the petitioner and
and after return of the rule and show
cause if any and after hearing the
parties allow this application and
thereby quash the impugned orders

A F F I D A V I T

I, Chhutharu Mandal, Aged about 50 Years, Son of Late Bhairab Mandal, Resident of villages:- Dhunha, P.S:- Gambhariya District:-Madhepura, do hereby solemnly affirm and declare as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I fully understood the same.

3. That the ~~sum~~ statement made in paragraph Nos. 3, 5, 6, 8, 11-15, 17-18 are true to my knowledge and those made in paragraph Nos. 4, ~~5, 6~~ 7, 9, 10, 16 are true to my information and derived and rest are by way of submission of record.

4. That the annexures are true/Photo copies of their originals respectively. L.T.S. ub.


Chhutharu Mandal

22

22

विद्यार्थी वि. वि. शा. १९३०

Amc

76

पंजीकरण

शहर 45581/21/1986
मुंबई शहर

22/8/80

पान नं.

CONTINUOUS EXHIBITION
पान नं. 2

संशुद्ध पान

दस्तावेज का नाम व नं.

अधिकारी का नाम

दिनांक

अधिकारी का विवरण देना

पिता का नाम यदि दस्तावेज का नाम
विशेष स्थान

संख्या नं.

श्रेणी

ए. ए. ए.

वर्ग

श्री

हस्त

कॉल

आपने / देना जारी होने के
फायदा एवं क्या फल

आपने के
संरक्षण के
संरक्षण के
संरक्षण के
संरक्षण के
संरक्षण के
संरक्षण के
संरक्षण के

808

मुम्बई महानगर

2335

—

हस्त

90

808

45/1986-2012

22/8/80

गाँव मुम्बई शहर
45-2114 21001 2308


~~991/1986~~

22/8/80
1 Aug 1986
Eo 2308

Annex-3

18

44



मूल्य २ पैसे

Schedule XII-Form No.-13

आवेदन संख्या (18202-1)

APPLICATION FOR INFORMATION

Number and Date	Name and residence of applicant	Nature of the Information required	Date on which the information is to be read	Signature of officer receiving the application	Remarks
12-03-12 4/24/03/12	श्री. [Name] [Address]	पंजाब प्रान्त में [Details]	[Date]	[Signature]	[Remarks]

Received from
of Date
Dated

Application No.-
of information which will be ready on
Clerk In charge

मौजा कन्हुठा बोरिमारी थाना नं० ०३ कांचल सिडेक्कर
गत वासगीत बनाई जिसका केशा नं० १/३१-१२ हुंतया वासगीत
ने काले शैयत का नाम श्याम चरित पासवान पिता सुखदेव पासवान
नंया खाता ३५। नया नैसरा २३३७ रकवा ०.०५ (चार डी०)



24/3/12
[Handwritten signature]

न्यायालय, सगाठता एवं जिला इंद्राधिकारी, मधेपुरा।

बासगीत पर्चा रिजीजन वाद सं०-11/2012 फुतहल मंडल बबान रामचरितर पासवान

—: आदेश :-

23.09.2014

31/10/2014

0

प्रस्तुत रिजीजन वाद दिनांक 16.04.2012 को रिजीजनकर्ता श्री फुतहल मंडल पे० स्व० भैरव मंडल सा० धुनहा, धाना गम्हरिया, जिला मधेपुरा ने अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर द्वारा निम्नांकित जमीन का बासगीत पर्चा वाद सं०-01/91-92 के माध्यम से विपक्षी के नाम से दिनांक 03.06.1991 को निर्गत बासगीत पर्चा को रद्द करने हेतु बिहार प्रीमिलेज्ड पर्सन्स होमस्टीड टेनेन्सी एक्ट 1947 की धारा 21 के तहत रिजीजन वाद सं०-11/2012 लाया गया है। प्रश्नगत विवादित जमीन (जिसका बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है) का विवरण निम्न प्रकार है :-

नौजा	धाना नं०	जाता		खेसरा		रकबा	भूस्वामी
		नया	पुराना	नया	पुराना		
कन्हुआ गोडियारी	02	241	-	2337	1635	04 डी०	भैरव मंडल पे० बनेश्वर मंडल

वादी से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2012 को उनके विद्व अधिवक्ता का पक्ष सुनकर वाद अंगीकृत करते हुए इस न्यायालय के डी.बी.नं. 611 दिनांक 12.06.2012 के द्वारा निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई। दिनांक 03.08.2012 को वादी सुनवाई के समय उपस्थित हुए। उनके विद्व अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त नहीं होने के कारण स्मारित किया जाय, जिसे स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के डी.बी.नं. 704 दिनांक 09.08.2012 के द्वारा अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर को अभिलेख हेतु स्मारित किया गया। अगली तिथि 14.12.2012 को वादी के विद्व अधिवक्ता ने सुनवाई कम में बताया कि अभी तक प्रतिवादी को नोटिस नहीं हुआ है। बेवला वादी के पक्ष को सुना जा सका तथा प्रतिवादी को निर्बंधित हाक से नोटिस तामिला करवाया गया; नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है तथा अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर के पत्रांक 531 दिनांक 22.09.2014 के द्वारा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख भी उपलब्ध कराया गया। दिनांक 23.09.2014 को अंतिम रूप से उभय पक्षों के दलील विस्तार से सुनने के पश्चात् अभिलेख आदेश पर रखा गया, जिसमें आज आदेश पारित किया जा रहा है।

वादी की ओर से उपस्थित विद्व अधिवक्ता का कहना हुआ कि विपक्षी द्वारा कुछ असमाजिक तर्कों के साथ मिलकर अकस्मात जाता सं० 241, खेसरा सं० 2337 रकबा 24 डी० जमीन पर दिनांक 11.03.2012 को आकर 04 डी० जमीन को जाली करने की धमकी दी जाने लगी। इस बात की जानकारी प्राप्त होने के बाद बासगीत पर्चा वाद सं०-01/91-92 से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना आवेदन दिनांक 12.03.2012 को अंचल कार्यालय में दाखिल किया गया, जहाँ से दिनांक 24-03-2012 को सूचना प्राप्त हुई है। अभिलेख की सत्यापित प्रति मांग किये जाने पर अभिलेख अनुपलब्ध बताया गया। फलस्वरूप सूचना आवेदन से प्राप्त सूचना के आधार पर यह बाद दिनांक 16-04-2012 को इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। इनका आगे कहना है कि प्रश्नगत विवादित जमीन वादी के पिता श्री भैरव मंडल के नाम से जमाबंदी कायम है, जिसका कुल रकबा 24 डी० में से 04 डी० जमीन का पर्चा गलत तरीके से विपक्षी के नाम से निर्गत कर दिया गया है। जबकि भूस्वामी को सुनने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और न ही नोटिस निर्गत किया गया है। प्रथम दृष्टया ही बिहार प्रीमिलेज्ड पर्सन्स होमस्टीड टेनेन्सी एक्ट-1947 के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। दूसरा तर्क दिया गया कि विपक्षी के पिता श्री सुखदेव पासवान के नाम से नौजा कन्हुआ गोडियारी जाता सं०-404, खेसरा सं० 2336 रकबा 10 डी० जमीन है, जिस पर मकानमय सहन होकर सपरिवार रह रहे हैं। उक्त जमीन पर प्रतिवादी का घर-मकान अवस्थित है। प्रावधान के अनुसार वैसे व्यक्ति जिनके नाम से बासगीत पर्चा निर्गत किया जा रहा हो, उसे उस नौजा में या बमल के नौजा में रहने के लिए घर न हो, को बसाने हेतु बासगीत पर्चा निर्गत किया जाता है। वरक इसके विपरीत विपक्षी को रहने के लिए पैतृक मकानमय सहन है, जिसमें इनका भी हिस्सा है, को अनदेखी कर अंचल अधिकारी द्वारा बासगीत पर्चा निर्गत कर दिया गया है, जो सुसंगत प्रावधान के

विलक्षित ही विपरीत है। इनका आगे कहना है कि वादी स्वयं प्रश्न प्राप्त क्वचित के श्रेणी में आते हैं। इसके तिरिक्त इन्हें कोई जमीन नहीं है। प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी कभी दखलदार नहीं रहे। उपरोक्त तर्कों के समर्थन में वादी के पिता के नाम से निर्गत खतियान 241 की छायाप्रति, निर्गत लगान रसीद वर्ष 2001-02 की छायाप्रति एवं विपक्षी के पिता के नाम से निर्गत खतियान 404 की छायाप्रति समर्पित करते हुए साक्ष्यों के आधार पर सम्यक विचार कर निर्गत बासगीत पर्चा को रद्द कर दिया जाय।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्व अधिवक्ता बहस में हिस्सा लेते हुए बताया कि वादी लगभग 21 वर्षों के पश्चात् उक्त मामला लाया है, जो पूर्णरूपेण कालबाधित है। वादी को प्रश्नगत जमीन पर निर्गत बासगीत पर्चा की पूर्ण जानकारी थी। कभी भी बासगीत पर्चा निर्गत होने के समय आपत्ति नहीं की। वर्तमान समय में लाया गया रिभीजन वाद में कालबाधित अवधि के लिए कोई भी कन्वोनेशन आवेदन दाखिल नहीं किया है और न ही उसका कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है, जिससे क्वचित अवधि के कारणों का स्पष्ट जानकारी हो सके। प्रथम पक्ष के तर्क का विरोध करते हुए बताया गया कि वादी प्रश्न प्राप्त रैयत की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि वादी द्वारा दाखिल खतियान नं०-241 का अवलोकन करने से स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि प्रथम पक्ष को 01 एकड़ 18 डी० जमीन है। जबकि बिहार प्रीभिलेज्ड पर्सन्स होमस्टीड टेनेन्सी एक्ट 1947 की धारा-02 अन्तर धारा-01 के अनुसार वादी को एक एकड़ से अधिक जमीन है, इसलिए ये प्रश्न प्राप्त रैयत की श्रेणी में नहीं माने जायेंगे। पुनः आगे बताया गया कि वादी स्वयं असमाजिक तत्वों के साथ आकर बासगीत पर्चा वाली जमीन को खाली करने के लिए दबाव डालने लगे तथा नहीं हटाने पर धमकियाँ देने लगे। यह बात सही है कि विपक्षी के पिता के नाम से 08 डी० जमीन है। उनके पिता को 04 पुत्र यथा रामचरितर पासवान(प्रतिवादी), रामदेव पासवान, रामप्रवेश पासवान एवं छोटेलाल पासवान हैं। उक्त जमीन में प्रतिवादी को 02 डी० हिस्सा होता है, जिसमें भी उनके पिता एवं भाई साथ रहते हैं। परन्तु पिताजी से कई वर्षों से अलग रहकर बासगीत पर्चा वाली जमीन पर ही रहते आ रहे हैं एवं उसी वासोवास के आधार स्थल जौधोपराबत बासगीत पर्चा दिया गया है। प्रतिवादी को इसके अतिरिक्त कहीं एक धूर जमीन नहीं है। इसलिए प्रतिवादी प्रश्न प्राप्त रैयत की श्रेणी में आते हैं। जौध कर्म में भी पाया गया कि प्रश्नगत जमीन पर दखलदार रहकर एवं मकानमय सहन होकर रह रहे हैं। यदि निर्गत बासगीत पर्चा की जमीन पर भूस्वामी श्री भैरव मंडल को कोई आपत्ति रहती तो उसी समय आपत्ति आवेदन दाखिल करते, जो नहीं किया गया था। अब भूस्वामी के पुत्र श्री छुतहर मंडल (वादी) के द्वारा 21 वर्ष के बाद रिभीजन वाद लाया गया है, जो चलने लायक नहीं है। अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त पूर्ण छानबीन कर उक्त जमीन पर पूर्व से मकानमय सहन देखकर ही विपक्षी के नाम से बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है, जो सही वो जायज है। इसमें किसी प्रकार से बी.पी.पी.एच.टी.एक्ट के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसलिए वादी के आवेदन को अस्वीकृत कर बासगीत पर्चा को बरकरार रखा जाय।

उभय पक्षों की दलील सुनने, निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं साक्ष्यों का गहन समीक्षा किया गया। समीक्षोपराबत पाया गया कि विपक्षी के नाम से निर्गत बासगीत पर्चा के संबंध में वादी पक्ष को पूर्ण जानकारी थी। विपक्षी श्री रामचरितर पासवान द्वारा दिनांक 09.09.1990 को अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर को आवेदन दिया गया है। अंचल अमीन द्वारा मापी प्रतिवेदन दिनांक 16.11.1990 को दिया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, सिंहेश्वर द्वारा बासगीत पर्चा निर्गत करने की अनुशंसा प्रतिवेदन 18.01.1991 को समर्पित किया है। अंचल अमीन/ हल्का कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर बासगीत पर्चा दिनांक 03.06.1991 को निर्गत किया गया है। अभिलेख में अंकित प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं एवं प्रश्नगत जमीन पर मकानमय सहन पाया गया है। विपक्षी प्रश्न प्राप्त रैयत की श्रेणी में आते हैं। दोनों पक्ष न्यायालय में संदेह उपस्थित होकर बयान दिया गया। वादी द्वारा बासगीत पर्चा वाली जमीन से जबरन हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए यह बाद लाया गया है। अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर द्वारा पूर्णतया छानबीन कर नियमानुसार बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है, जिसमें कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर के द्वारा प्रश्नगत बासगीत पर्चा से संबंधित मूल अभिलेख जो उपलब्ध कराया गया है, उसमें अंकित जमीन का खीरा यथा आता, जैसरा, रकबा, चौहद्दी आदि रिभीकर्ता द्वारा अपने रिट में अंकित विवादित जमीन से मेल आता है,

परबु रीट में अंकित अभिलेख सं० से मूल उपलब्ध कराए गए अभिलेख सं० से मेल नहीं खाता है। बासगीत पर्चा का मूल अभिलेख के परिशीलन से वस्तुतः स्पष्ट है कि बासगीत पर्चा अभिलेख की संख्या-01/1991-92 नहीं, बल्कि 02/1991-92 है। यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वादी द्वारा पूर्व में विवादित जमीन पर बासगीत पर्चा निर्गत करने समय कोई आपत्ति नहीं की है एवं वर्षों बीत जाने के बाद यह मामला लाया गया है, जो कदापि स्वीकार योग्य नहीं है। निर्गत बासगीत पर्चा पूर्णरूपेण वैधानिक तरीके से निर्गत किया गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अंचल अधिकारी, सिंदेश्वर द्वारा निर्गत बासगीत पर्चा को बरकरार रखा जाता है तथा जमीनी को हिदायत दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि से पर्चधारी को नहीं हटायेगे एवं यथास्थिति बनाए रखेंगे। इस निदेश के साथ रिभीकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए प्रस्तुत वाद को निष्पादित किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष/ अंचल अधिकारी, सिंदेश्वर/ गम्हरिया को भेजे एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजे।

सिना
स न ह र्त,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

सिना
सनाहर्ता, मधेपुरा।

डी० बी० नं०...509.../विधि,मधेपुरा,दिनांक...01.../11/2014

प्रतिलिपि: उभय पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अंचल अधिकारी, सिंदेश्वर/ गम्हरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अंचल अधिकारी, सिंदेश्वर के बासगीत पर्चा अभिलेख संख्या-02/1991-92 मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।



प्रभारी न्यायाधीश
विधि, मधेपुरा
सिना
01/11/14

6153 — 30.6.14 — 30.6.14 — 2.7.14
 26.6.14 Court - Sri Anirudh Kumar
 Annexure-5 J.M. 1st Class, Madhupur
 Chandra - 10/6/14
 CR-1298/14 21.6.14 (23)
 18/6/14

Ram Charities and
 others

7. प्रपत्र सं-118
 पत्र सं-26 (नियम-143)

प्राथमिकी (F.I.R.) संख्या - B 164687
 (दं. प्र. सं. की धारा 154 के अधीन)

1. मधुपरा * अनुबन्ध 4 * थाना गारहिया * वर्ष 2014 * प्राथमिकी सं. 105/14 तिथि 16.6.14
 1. S. Div. (P.S.) (Yr.) (F.I.R. No.) (Date)
 अधिनियम (Act) * धाराएं (Sections) 341, 447, 497, 383, 349, 34
 अधिनियम (Act) * धाराएं (Sections) *
 अन्य अधिनियम एवं धाराएं (Other Acts and Sections) *
 अपराध की घटना दिनांक * दिन * तिथि से 11.6.2014 * तिथि तक
 (Date of offence) (Day) (Date from) (Date to)
 अवधि (पहर) * बजे से 08:00 बजे * बजे तक
 (Time period) (Time from) (Time to)

थाना में प्रथम दृष्टि * 06.06.2014 * समय 14.30 बजे अपराध
 प्राथमिकी दर्ज करने * 16.06.2014 * समय 14.30 बजे अपराध
 थाना दैनिकी * प्रविष्टि सं. * समय 14.30 बजे अपराध
 का प्रकार (Type of Offence) * लिखित/मौखिक (Written/Oral)

स्थल - (क) थाना से दूरी रुजर कारी 8 मीटर * गस्त सं. V
 * पता (Address) ग्राम - धुमहा, थाना - गारहिया, जिला - मधुपरा

थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम * जिला *
 दी/सूचना दाता :
 नाम * गंगा कुमार
 पिता/पति का नाम * सुतहर मिश्र
 जन्म-तिथि * (घ) राष्ट्रीय *
 पारपत्र सं. * निर्गम तिथि * निर्गम स्थान *
 पता * ग्राम - धुमहा, थाना - गारहिया, जिला - मधुपरा

of 53
 2.7.14

GOVT. OF BIHAR
 REGISTRATION, DEEDS & PROVISIONAL DEPT.
 MADHUPURASOFCR. MADHUPUR

COURT FEE

Authorization No. 2037

भारत INDIA
 STAMP DUTY
 00000
 0000005
 -2.7.2014
 374160
 BIHAR
 JUDICIAL
 5524 7621422

(2) 24

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

7. जन्म/मृत्यु/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएँ)

(1) रामचन्द्र पासवान पीएचएच सुरवेव पासवान (2) विक्रम पासवान पीएचएच
 रामचन्द्र पासवान एवं रामचन्द्र पासवान का ही पुत्र नाम दर्शाते हैं तथा
 अज्ञात मजदूर साठ धुआटा, थाना-गारुडिया जिला-मधेपुरा

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :

*लिंग (Sex)	*जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ग) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई सं० मी० में (Height (in Cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6

*विरूपता/विरूपणता (Deformation pec)	*दाँत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	*पहनावा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	स्थान				
	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जखम चिह्न (Scar)	*गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18

यदि परिवार/इज्जत देने वाले/पांडित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विभिन्नताएँ दी जाएं तभी उन संबंधों में प्रविष्टियाँ की जाएँगी। इसका उपयोग अज्ञात/अज्ञात में पहचानकर्ता केवल जांचिक प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा।

इस प्रकार खनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों में जांच के लिए उपयोग में लाए जाएँगे।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तो पूरा-संदिग्ध या विकर के लिए विना संबंधों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकड़े पुनः तैयार किए जाएँगे।

श्रीमान श्रीमान

श्रीमान श्रीमान

गामहरिया

25

महाशय

सविनय निवेदन है कि दिनांक 11/6/2014 सायं 8 बजे सुबह

दिन बुधवार शामचरित्र पासवान के स्वर्गीय सुखदेव पासवान, सिकेवर पासवान, पैर शमचरित्र पासवान सा. बुन्हा, थाना गामहरिया, जिला मधेपुरा सायं मजदूर के मेरी जमीन खाना नया 241 खेसरा नया 2337 इकवा 2430 के अंश करना करीब 4500 जानिब उस से जख्मि धर बनाने लगा है, मेरी माँ स्व मेरे पिताजी सेकने करती लगी-इडा, लप्पर-थप्पर से मार पीट किया मेरी माँ का लिए सिकेवर पासवान जोड दिया जिससे मेरी माँ जरणी हो कर मिड पड़ी शमचरित्र पासवान सायं मजदूर के स्व उनके दोनो पुत्र ने बेश कदम स्व चिकस का रुहा ली करि दस साल पुराना थर किमत करीब 10,000 (दस हजार) रुपया काट कर ले गए स्व मेरे धर को लोकर तहस नहस कर दिया

उत्प्रेक्षनीय है कि मेरी ही

जमीन पर स्वर्गीय सुखदेव पासवान पिरा गोपाल पासवान के नाम मकानमप सहन हो जिस पर उसका धर दुरवाजा है। परंतु जात कर मेरे उपरोक्त खेसरा में से 4300 के लिए पासवान पर्या बनवा लिया है जिसके लिए मेरे पिताजी ने खिली सम्राहती मधेपुरा के न्यायालय में रिमिजन केश नम्बर 11/12 दाखिल किया है जो लंबित है। इस खिल सम्बन्ध शकृत करने के नियत से जबदस्ती धर बनाने लगा और मना करने पर शक्ति मार पीट किया है। इस सम्बन्ध में गामहरिया थाना द्वारा हम लोगों का गामहरिया अस्पताल में शपथ ली हुआ है।

अतः प्रार्थना है कि अपराधियों के निरुध अहित कानूनी कारवाई किया जाए इसके लिए श्रीमान का विनित श्रुंगा

प्रार्थी श्रीमान कुमार
पिता सुतहस मंडल
धर बुन्हा
थाना गामहरिया
जिला मधेपुरा
दिनांक 16/6/2014

Retained and registered
A.S.I. Raju Bala Kumar will please investigate
Bengaluru P.S. Case No. 108/11 dated 06-2014
B/S-391-447-427-323-279-34 I.P.C.

Handwritten notes at the bottom left corner.

अनुसूची 47, प्रपत्र सं०-118

(2)

26

18/11/14


8. परिवादी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए खिलब का कारण

9. चुराई गई/अन्तर्ग्रस्त/बरायत सम्पत्तियों के व्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें)

10. * चुराई गई/अन्तर्ग्रस्त/बरायत सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recover)

11. * अस्वाभाविक प्रत्यु कांड सं०, यदि हो तों (U.D. Case No., if any)

12. प्रपत्रों का अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)



26.6.14 30.6.14 30.6.14

2.7.14

[Handwritten signature]

प्रपत्र सं०-118

(4)

27

जमीनी विवाद की 'लीक' सागरीह बाग जमीनी
बाग का अर्थात् 27 विवाद का हल खतरा
है।

बागी का लिखित आवेदन जो इस कांस्टेबल
मूल आधार है, कि मूल-मूल में साथ शर्त
उपरोक्त की साथ हल प्रति संलग्न है।

Agent Name
16.6.14
शागरीह बाग

अनुसू
आ० 7

- 1. *
- (L)
- 2. (II)
- (II)
- (II)
- (IV)
- 3. (C)
- (C)



कार्रवाई : चूंकि यह रिपोर्ट सूचना से पट. 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किये जाने प्रकट होता है
इस दृष्टि से अनुसंधान अर्थात् किया * शागरीह बाग परनाम पुष्पक शागरीह का
करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इनकार किया/आधिकारिता के प्रश्न पर धाना
रेत किया गया। प्राथमिकी परिवारी/सूचनादाता को पदकर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित
या, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवारी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken :
ie above report reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 registered the case
< up the investigation/directed * Rank to take up the investigation.)

सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगुठा का निशान।

न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय-

Agent Name
16.6.14
धाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) - शान्त कर्मा
पदनाम (Designation) - शागरीह बागरीह धाना

- ...
- (I)
- (E)
- (G)
- (B)
- 4. सू
- 5. घट
- (R)
- ...
- (M)
- 6. पं
- (B)
- (R)
- (M)
- (D)
- (B)
- (B)

4.25
0.05
4.90
2.00
11.90
शान्त कर्मा
2.7.14

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten notes and stamps]

passed by the collector in Basgit purcha

revision case No. 11/2012 on $\frac{23.09.2014}{30.10.2014}$

and the order dated 3.06.91 passed in Basgit

purcha record case No. $\frac{01/91-92}{02/91-92}$ by the

respondent No. 2.

And

During pendency of this application the
operation of the order/orders impugned may

kindly be stayed.

And for this the petitioner shall ever pray.

of land was passed behind the back of the petitioner without following due of process of settlement particularly when the name of the father of petitioner was standing in revisional survey record who was necessary party to be heard before issuance Basgit purcha in respect of the land in question.

13. That the learned collector has also not taken into consideration that respondent No.3 himself possess homestead land appertaining to R.S.Khata No.404 R.S.Plot No.2336, and he does not come under the ^{definition of just} person sit over for grant of Basgit purcha .

14. That the learned collector has not at all taken in to consideration that the law of limitation ~~is~~ ^{not} applicable will arise from the date of knowledge ^{and if applicable it} which was supplied to the petitioner on 11.3.2012.

15. That it is sig-nificant to note here that

A Photo copy of the R.C. Khatian standing in the name of Bhaire Mandal is annexed herewith and marked as annexure-1 to this application.

5. That from the perusal of R.S. Khatian it is quite clear that the nature of the aforesaid land of the plot is Homestead land (MAKAN-MAL SAHAN).

6. That it may be noted here that the petitioner inherited the said properties from his father and he has been residing over the said homestead land with his family still the time of ^{Purchase by} his father.

7. That on the other hand father of the respondent No. 3 namely Sukhdeo Paswan is a recorded tenant in respect of land of R.S. Khata 404 R.S. Plot 2336 area 10 decimals and the nature of the said land is recorded as Homestead land.

- 1991 Out of the land of the petitioner the Respondent
No.3 got, 4 decimals settled in his favour, behind the
back of the petitioner.
- 2012 The respondent No.3 put up claim over the land
(4 decimals)land on the basis of Basgit parcha.
- 2012 Petitioner enquired and filed a petition for
information under Right to Information Act.
- 24.3.2012 Information was provided by Circle Officer
Singheshwar.
- 23.9.2014
31.10.2014 The petitioner filed Basgit Parcha Rev.Case
No.-11/012 which was dismissed on the ground of Limita-
-tion.

Hence this application.